

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री श्योपत राम भाटी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-जानकीदासवाला, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने की शिकायतों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्याप्त असंतोष तथा जांच अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया जाता है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एल.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 15.03.2019

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/ए-2/एपीओ/श्योपतराम/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, श्रीगंगानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री भाटी को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यालय हाजा में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़, श्री गंगानगर को आदेश की पालनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-जानकीदासवाला, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
8. श्री श्योपत राम भाटी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-जानकीदासवाला, सूरतगढ़ जिला, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
9. सहायक निदेशक, विभागीय जांच, कार्यालय हाजा को उनकी अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक प्राजा/ई-1/11226/श्रीगंगा-4/19/110 दिनांक 15.03.2019 के क्रम में।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)